न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 01/2021 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
राजस्थान सरकार जरिये अस्मिता मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

श्री मीठालाल प्रजापत पुत्र रामजीलाल प्रजापत निवासी ईदगाह कॉलोनी, बरकत स्टेच्यू के पास, दौसा
..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 05 गैस सिलेण्डर(5 घरेलू सिलेण्डर) मय एल0पी0जी0 55.9. किलोग्राम

दिनांकः 03.07.2024

निर्णय

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 इस प्रकार है कि प्रवतन अधिकारी दौसा एवं प्रवर्तन निरीक्षक दौसा के द्वारा 25.3.2021 को मीठालाल प्रजापत पुत्र श्री रामजीलाल प्रजापत निवासी ईदगाह कालोनी, दौसा द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया। मौके पर पाये गये कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 55.9 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 25.3.2021 को प्रवर्तन अधिकारी दौसा, प्रवर्तन अधिकारी लालसोट, प्रवर्तन निरीक्षक दौसा शहर ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण/क्रय/विक्रय/रिफलिंग की जांच हेतु दौसा शहर में फर्म मैसर्स मीठालाल प्रजापत पुत्र रामजीलाल प्रजापत निवासी ईदगाह कॉलोनी, बरकत स्टैच्यू के पास, दौसा में जॉच हेतु पहुँचे। मौके पर फर्म के मालिक मीठालाल प्रजापत उपस्थित पाये गये। जिनकी उपस्थिति में गवाहान के समक्ष मकान/व्यवसाय परिसर की जांच/तलाशी करने पर परिसर में बने हुए कमरे में घरेलू एल0पी0जी0 गैस 14.2 किलोग्राम क्षमता के 5 सिलेण्डर पाये गये। मीठालाल प्रजापत से उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण बाबत आवश्यक अनुज्ञा पत्र दस्तावेज मांगे गये, परन्तु मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर पाया गया जिसके विषय में पूछने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स सदाशिव भारत गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री चन्द्रमोहन शर्मा व डिलीवरीमैन को मय तोल मशीन मंगाकर सिलेण्डरों की तोल कराई गई जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

Devend
जिला कलेक्टर, दौसा

कसं	सिलेण्डर का एसआर नंबर	नाम गैस कंपनी	मानक भार	TW	GW	शुद्ध गैस
1	**581031 T**	बीपीसीएल	14.2	15.6	29.1	13.5
2	**465898 T**	बीपीसीएल	14.2	15.4	29.1	13.7
3	**58855 T**	बीपीसीएल	14.2	15.7	29.2	13.5
4	**481302 E**	बीपीसीएल	14.2	15.6	23.0	7.5
5	**583103 T**	बीपीसीएल	14.2	15.8	23.5	7.7
					शुद्ध गैस	55.9

व्यवसायी श्री मीठालाल प्रजापत ने उक्त सिलेण्डर के भंडारण बाबत कोई दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किये तथा मौके पर गैस अन्तरण का उपकरण भी पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि व्यवसायी बडे सिलेण्डर्स छोटे सिलेण्डर्स/एलपीजी वाहन में गैस अन्तरण कर अवैध कारोबार करता है। गैस अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री मीठालाल प्रजापत द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण उक्त आदेश के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सिलेण्डर्स को मय गैस तथा एक गैस अन्तरण का उपकरण जब्त किया गया तथा सुरक्षा व साक्ष्य की दृष्टि से सदाशिव भारत गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री चन्द्रमोहन शर्मा की सुपुर्दगी में अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु दिये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस 55.9 किलोग्राम को राजसात करने के आदेश फरमावें। चूंकि एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु है अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करावें।

अप्रार्थी मीठालाल प्रजापत बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विभागीय पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 25.3.2021 को प्रवर्तन अधिकारी दौसा, प्रवर्तन अधिकारी लालसोट, प्रवर्तन निरीक्षक दौसा शहर ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण/क्रय/विक्रय/रिफलिंग की जांच हेतु दौसा शहर में फर्म मैसर्स मीठालाल प्रजापत पुत्र रामजीलाल प्रजापत निवासी ईदगाह कॉलोनी, बरकत स्टैच्यू के पास दौसा की जांच की गई। व्यवसायी श्री मीठालाल प्रजापत के पास सिलेण्डरों के भंडारण बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं था। व्यवसायी द्वारा बडे सिलेण्डर्स छोटे सिलेण्डर्स/एलपीजी वाहन में गैस अन्तरण कर अवैध कारोबार करना प्रमाणित होता है। एलपीजी गैस सिलेण्डरों से वाहन में अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री मीठालाल प्रजापत द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी मीठालाल प्रजापत से मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण मय पाईप व रेगूलेटर भी पाया गया है। दौसा शहर में घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

Devendr
जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order, 2000 के क्लॉज 3(C) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा गैस सिलेण्डर 05 मय एल0पी0जी0 गैस 55.9 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested